राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 791वी बैठक दिनांक 08.06.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 791वी बैठक दिनांक 08.06.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
A- SEAC द्वारा अनुशंसित प्रकरण					
1.	9241/2022	3 (b)	Cement Grinding Unit	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	प्रस्तुतीकरण
2.	9581/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
3.	8690/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	9567/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	9621/2023	1(a)	पत्थर व मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	8248/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
7.	9706/2023	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
8.	9301/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9798/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	9252/2022	8(a)	Residentioal Project	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
11.	9136/2022	5(a)	Expansion of Existing Fertilizer and Agri Inputs Manufacturing Plant	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
12.	9646/2023	1(a)	कोयला खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
13.	9578/2023	1(a)	कोयला खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
14.	9931/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
15.	9509/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
16.	9716/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
17.	7096/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9512/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
19.	9725/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20.	9729/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
21.	9726/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
22.	9717/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
23.	9736/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
24.	9735/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
25.	9734/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
26.	9718/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
27.	9727/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
28.	9723/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
29.	9728/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
30.	9733/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
31.	9732/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
B. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
32.	9790/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
33.	9240/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
C. जिला खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली का पत्र क 1881 दिनांक 29.05.2023 एवं पत्र क्र. 1880 दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से SEIAA द्वारा जिला सिंगरौली, तहसील चितरंगी के 06 प्रकरणों (प्रकरण क्र. 6238/2019, 6314/2019, 7265/2020, 6405/2019, 6117/2019, 6051/2019) में जारी पर्यावरण स्वीकृतियों के निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय।					
D. नीतिगत निर्णय					

1. **Case No. 9241/2022**: Environment Clearance for Cement Grinding Unit, Capacity-300TPD (Ball Mill 3X100 TPD) at E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Tehsil Joura, Dist. Morena, (MP) by M/s J.P. Minerals Industries, through Smt. Renu Bansal, Prop., E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Dist. Morena, MP – 476001 Email: jpminerals300@gmail.com Mob: 8597732456 Envt. Consultant:M/s. Ascenso Enviro Private Limited

प्रकरण सीमेंट ग्राईंड़िग यूनिटके लिए पर्यावरण उल्लघन के पश्चात् पर्यावरण मंजूरी का है। प्रश्नाधीन प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत् विचाराधीनहै। परियोजना हेतु SEAC की 647 वीं बैठक दिनांक 29.05. 2023 को "पूर्व पर्यावरण स्वीकृति" किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 01 से 14 पर अंकित है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

प्राधिकरण द्वारा यह देखा गया कि सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 300TPD है उसकी तुलना में लैंड एरिया 0.32 एकड़ है जबकि यूनिट के स्थापना के लिए कच्चा माल के भंडारण और उत्पाद के रख रखाव हेतु भूमि क्षेत्र की आवश्यकता ज्यादा होगी। साधारण तौर पर इस प्रकार की इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर स्थापित की जाती है। गूगल इमेज से यह देखा गया है कि प्रस्तावित स्थल के आस–पास अन्य ईकाईयां स्थापित है तथा ग्राम लोहगढ़ लगभग 270 मीटर की दूरी

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पर स्थित है। इससे वहां रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए कार्यस्थल की उपयुक्तता एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण को देखते हुए **परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा आवंटित/हस्तांतरित भूमि/अनुमति सहित आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये ताकि प्रकरण में निर्णय लिया जा सके।**

2. **प्रकरण क्र. 9581/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हुसैन इंटरप्राइजेज, श्री अमीन हुसैन, निवासी हुसैन गार्डन, शंकरपुर, ट्रासपोर्ट नगर, जिला – ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 100597 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 131/1, ग्राम – चंदेली, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **श्योपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यकम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

वृक्षारोपण	पौधों की प्रजातियॉ	संख्या
बैरियर जोन	बैरियर जाने और उसके आस पास के 4 हेक्टेयर क्षेत्र में पत्थर होने के कारण वृक्षा रोपण नहीं हो सकता इसलिए उस जगह पर चरागाह का विकास योजना के साथ किया जाएगा जिसका पूरा EMP रिपोर्ट में दिया गया है और चरागाह विकास की योजना भी संलग्न है एवं बैरियर जोन में नीम एवं सफेद कस्टार के बीज बोये जाएंगे एवं केतकी के बल्ब जायेंगे	
परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम् ऊँचाई 1.5 मीटर) (पूर्ण सुरक्षा के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉं, अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2800

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	योग	3600

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम विजयपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक से परामर्श कर 17 -वेल्टन हेल्थकेयर अस्पताल सेमी फाउलर बिस्तर, Nebulizer- 20, Oxygen Gas cylinder –10, 5 AS मेडिस्टील ASM-1053 स्टेनलेस स्टील स्ट्रेचर ट्रॉली के साथ प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हुसैन मेसर्स हुसैन इंटरप्राइजेज, श्री अमीन हुसैन, निवासी हुसैन गार्डन, शंकरपुर, ट्रासपोर्ट नगर, जिला – ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 100597 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 131/1, ग्राम – चंदेली, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला श्योपुर का पत्र क्र. 8039 दिनांक 19.07.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.07.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

3. **प्रकरण क्र. 8690/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रताप सिंह बुंदेला आत्मज श्री सोबरन सिंह बुंदेला निवासी जगत नगर, तहसील– मोहनगढ़, जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 40, ग्राम – मगरई ,तहसील मोहनगढ, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रकरण में अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार ' प्रस्तावित खदान की सीमा समीपस्त एक अन्य खदान की सीमा सें ओवरलैप होना परिलक्षित है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC *को अग्रेषित किया जाये ।*

4. **प्रकरण क्र. 9567/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन मेवाडा आत्मज श्री रामसिंह मेवाडा, निवासी ग्राम व पोस्ट– खजुरी सड़क, जिला– भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.623 हेक्टेयर, खसरा 544/2, ग्राम – मुगांलिया छाप ,तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र में 02 पिट्स अक्टूबर, 2017 से खुदे हुए है। इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास भी 02 अन्य जगहों पर माईनिंग पिट्स खुदे हुए परिलक्षित है जिसमें से 01 खदान अस्थाई अनुज्ञा तथा शेष 03 खदानों की जानकारी स्पष्ट नही है। साथ ही यह भी स्पष्ट नही की उक्त खदानों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा नही ?। यदि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई है तो पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का अनुपालन किया गया है, कि नही, यह स्थिति स्पष्ट नही हो रही हैं।

अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र. 9621/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हरई बिजोरी हाईवे प्रा. लि. निदेशक, श्री उमाकांत शर्मा, दुकान नं. एफ– 5, लोटस टॉवर, कुढेही, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर, मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 90000 व मुरूम 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.3720 हेक्टेयर, खसरा 422, 419, ग्राम आचारकुण्ड, तहसील हर्रई, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों **(परिशिष्ट–1)** के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) **छिंदवाडा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं शेड से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाये एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) संपादित किये जाने हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा की जाये :–

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिरस्सू, आवंला, काला/सफेद सिरीस चिरोल, नीम, महुआ, जंगल जलेबी, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1000
2	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम् ऊॅचाई 01.5 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं कुसुम अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	600
		कुल	1800

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 01 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- शासकीय माध्यमिक स्कूल बंका में फर्नीचर (15 नग बेंच एवं डेस्क) 02 कम्प्यूटर, कुर्सी टेबल प्रदान किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हरई बिजोरी हाईवेस प्रा. लि. निदेशक, श्री उमाकांत शर्मा, निवास दुकान नं. एफ– 5, लोटस टॉवर, कुढेही, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर, मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 90000 व मुरूम 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.372 हेक्टेयर, खसरा 422, 419, ग्राम आचारकुण्ड, तहसील हर्रई, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला छिंदवाडा का पत्र क्र. 1406 दिनांक 09.11.2022 अनुसार अस्थाई अनुज्ञा 02 वर्ष (दिनांक 28.09.2022 से 27.09.2024) हेतु स्वीकृत की गई है,। अतः **यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की** वैधता दिनांक 27.09.2024 तक **वैध मान्य रहेगी।**

6. **प्रकरण क्र. 8248/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.के. स्टोन प्रोडक्ट्स, पार्टनर, श्री आशीष कुमार सिंह, निवासी सेक्टर –8, राजकुमारी नगर, अय्यपा मंदिर, ओबरा, जिला सोनभद्र (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 60004 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा** 4.90 **हेक्टेयर, खसरा 50, 51, 52, 53, 54, 40, 41, 45, 46, 127, 130 एवं 132 ग्राम हर्दी, तहसील सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **सीधी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, काला/सफेद सिरीस बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	938
2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कुसुम, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
3.	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	950
4.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत हरदी)	नीम, आम, कटहल, बेर, ऑंवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	902
5.	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत हरदी के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, ऑंवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	555
6.	ग्राम पंचायत हरदी के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	555

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

कुल	4900

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- सी.एस. आर. मद से प्राथमिक स्वास्थ केंद्र हरदी (ग्राम हरदी) में स्वास्थ संबंधी उपकरण (**ECG Machine, Wheel Chair - 5 & Stretcher - 3**) प्रदान किये जाये।
- शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों के बैठने के लिए 10 टेबल एवं 10 कुर्सियां प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.के. स्टोन प्रोडक्ट्स, पार्टनर, श्री आशीष कुमार सिंह, निवासी सेक्टर –8, राजकुमारी नगर, अय्यपा मंदिर, ओबरा, जिला सोनभद्र (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 60004 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 50, 51, 52, 53, 54, 40, 41, 45, 46, 127, 130 एवं 132 ग्राम हर्दी, तहसील सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सीधी का पत्र क्र. 668 दिनांक 18.08.2020 अनुसार 10 वर्ष हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.08. 2030 तक वैध मान्य रहेगी।

7. **प्रकरण क्र. 9706/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनन्या इन्जीनियरिंग प्रा.लि., प्रोपराईटर, श्री आभाष गुप्ता, निवासी रूद्राक्ष पार्क, फेस–2 फ्लेट नं. 402, बावड़ियाकलां, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.72 हेक्टेयर, खसरा 165, ग्राम – बडायला चौरासी, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तंरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **रतलाम जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबधित ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट से न्यूनतम** 100 **मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाये एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) संपादित किये जाने हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा की जाये :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन	जंगल जलेबी, आवला,नीम, काला/सफेद सिरीस कस्टार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	670
2	परिवहनमार्ग (पौधों की न्यूनतम् ऊँचाई 1.5 मीटर)	सिस्सू, पीपल, करंज, चिरोल, कुसुम पुत्रंजीवा, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री–गार्ड के साथ	150
3.	ग्राम बड़ायलाचौरासी के नजदीक स्थित क्रिकेट ग्राउंड एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे :– पुत्रंजीवा, जंगल जलेबी, मोलश्री, करंज, नीम, कदम्ब आदि।	100
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन आदि।	1150

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

	कुल	2070

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 01 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम में स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में चिकित्सक के परामर्श से 02 बी.पी. मशीन, 02 शुगर टेस्टिंग मशीन व आवश्यक सामग्री प्रदान की जाये।
- ग्राम बड़ायला चौरासी में सरपंच से परामर्श लेकर चारागाह क्षेत्र विकसित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनन्या इन्जीनियरिंग प्रा.लि., प्रोपराईटर, श्री आभाष गुप्ता, निवासी रूद्राक्ष पार्क, फेस–2 फ्लेट नं. 402, बावड़ियाकलां, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.72 हेक्टेयर, खसरा 165, ग्राम – बडायला चौरासी, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रतलाम का पत्र क्र. 2161 दिनांक 29.12.2022 अनुसार 02 वर्ष (दिनांक 24.06.2022 से 22.06.2024) तक अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.06. 2024 तक वैध मान्य रहेगी।

8. **प्रकरण क्र. 9301/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बी.सी.सी. प्रोजक्ट प्रा.लि., संचालक श्री सौरभ भारद्वाज, आत्मज श्री ब्रजमोहन भारद्वाज, निवासी कांदिल भवन, बारादरी चौराहा, रामनगर मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.425 हेक्टेयर, खसरा 220, 219/3/2, 219/2, 216, 217, ग्राम जिगनियां, तहसील तानसेन, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन में	खमेर, अचार, चिरोल, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल, बरगद, करंज, काला/सफेद सिरीस आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
2	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम् ऊँचाई 1.5 मीटर)	नीम, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, चिरोल, कुसुम, जंगल जलेबी, सिस्सू, कदम आदि।एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री–गार्ड के साथ	20
3.	सिद्ध बाबा मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–करंजआवला, कदम, कटहल, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, बरगद, नीमआदि।	600
4	सिद्ध बाबा मंदिर के चारों ओर वृक्षारोपण जिगनिया गांव कें खेल मैदान में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–नीम आवला, करंज, आम, पुत्रंजीवा, कुसुम, मोलश्री, बरगद, कदम आदि।	410

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5	सरकारी स्कूल में एवं पास के गांव क्षेत्र के आंगनवाड़ी में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– करंज, कदम, पुत्रंजीवा, करंज, मोलश्री, नीम आदि।	200
6	आसपास के गांव में पौधे वितरण के लिए ग्रामीणों व पंचायत से परामर्श लेकर वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल, मुनगा आदि।	1000
		कुल	2910

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक से परामर्श कर 01 बिस्तर, 02 स्ट्रेचर और 02 व्हील चेयर प्रदान की जाये ।
- ग्राम जिगनिया के आंगनवाड़ी में बर्तन और खिलौने का वितरण और उसी आंगनवाड़ी को 01 वर्ष तक पोषण आहार प्रदान किया जाये।
- ग्राम जिगनिया में खेल के मैदान का समतलीकरण किया जाये ।
- सिद्ध बाबा मंदिर के पहुंच मार्ग की मरम्मत एवं आश्रम के अंदर के परिसर का समतलीकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य किया जाये एवं मंदिर में पीने का पानी एवं वृक्षारोपण हेतु बोरबेल की व्यवस्था (ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी) की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बी.सी.सी. प्रोजक्ट प्रा.लि., संचालक श्री सौरभ भारद्वाज, आत्मज श्री ब्रजमोहन भारद्वाज, निवासी कांदिल भवन, बारादरी चौराहा, रामनगर मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2. 425 हेक्टेयर, खसरा 220,219/3/2, 219/2, 216, 217, ग्राम जिगनियां, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला ग्वालियर का पत्र क्र. 8644 दिनांक 16.07.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2021 के अनुसार 10 वर्ष हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.07.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

9. प्रकरण क्र. **9798/2023** परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स श्री बालाजी क्रेशर एंड डेव्हलपर्स, प्रो. श्री उमेश मिश्रा** नि. 02 जगदंबा नगर जिला खंडवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.74 हेक्टेयर, खसरा 29/1, 29/2, 29/3, 29/4 ग्राम – सिहाड़ा तहसील– खंडवा जिला खंडवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में कई अन्य खदानें परिलक्षित है जिनका कुल रकबा प्रस्तावित खदान को मिलाकर 5.0 हेक्टेयर से अधिक होना प्रतीत होता है। जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के एकल प्रमाण पत्र क्र. 83 दिनांक 20/04/2023 अनुसार **500 मीटर की परधि में 02 स्वीकृत खदाने संचालित एवं 03 स्वीकृत पर असंचालित होना बताया गया है। इस प्रकार स्वीकृत खदानो का कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक हाने के कारण प्रकरण बी–1 श्रेंणी को होना प्रतीत होता है।**

अतः प्रकरण पुनः **परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। SEAC द्वारा प्राथमिकता पर समयावधि में प्रकरण निराकृत कर SEIAA को सूचित किया जाये।**

10. **Case No 9252/2022:** Environment Clearance for Proposed "Sage Golden Spring" Residential Apartment located at Khasra No. - (10/1, 12, 13, 14, 15), (10/2/1, 12, 13, 14, 15), 11/1, (16/1, 18, 21), (16/2, 18, 21) 17/1/1, 17/1/2, 17/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 28/1/1, 28/1/2, 28/2/1, 28/2/2, 29/1/1, (A) 29/1/1 (B) 29/1/2/1, 29/1/2/2, 84/1/1, (84/2/1, 85, 86/1), 84/2/2, 86/2, Village – Damkheda, PatwariHalka No. 21, Tehsil – Huzur& District – Bhopal (M.P.) by M/s Vrindavan Construction, Partner, Shri Arun Agrawal S/o Late Shri R.P.Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP. Total Plot Area – 47170.00 Sq.m. (4.717 ha,), Built Up Area - 98714.54 sq.m.Cat. - 8(a). Building and Construction projects. Env. Con. - Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur, (Raj).

उक्त परियोजना "Sage Golden Spring" ग्राम दामखेडा तहसील और जिला–भोपाल (मध्य प्रदेश), में प्रस्तावित है। परियोजना का कुल क्षेत्रफल **47170.00** वर्ग मीटर (**4.717** हेक्टेयर) तथा निर्मित क्षेत्र **98714.54** वर्गमीटर है इसमें आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण प्रस्तावित हैं। परियोजना प्रस्तावक ने पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बिना साइट पर निर्माण शुरू कर दिया है और इसलिए यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन होने के कारण मानक संचालन प्रक्रिया" के अंतर्गत विचाराधीन है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 603वी बैठक दिनांक 04.11.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। प्रकरण का कार्यवाही विवरण पेज नंबर 18 से 40 पर अंकित है। प्रकरण को पुनः परिक्षण हेतु SEAC को प्रेषित

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

करने उपरांत SEAC की 647 वीं बैठक दिनांक 29.05.23 के निर्णयानुसार पर्यावरण स्वीकृति पुनः अनुशंसित किया गया।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 647 वीं बैठक दिनांक 29.05.2023 में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिया गया :–

चार्टेड एकांउटेंट द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र में पर व्यय के संबंध में माह नवंबर 2021 का उल्लेख है। जबकि आवेदक द्वारा पर्यावरण हेतु आवेदन माह जून 2022 का मानक संचालन प्रकिया के अनुसार योजना आरम्भ होने से आवेदन दिनांक तक व्यय की गई राशि का विवरण दिया जाना चाहिए। जून 2022 के पश्चात् भी अगर निर्माण कार्य हुआ है तो उसका भी विवरण प्रस्तुत करें।

- आवेदक द्वारा कार्ययोजना चालू होने से आवेदन दिनांक तक के वित्तीय वर्षो की बैलन्स सीट, आयकर रिटर्न्स भी जमा की जावें।
- आवेदक द्वारा बताए गए व्यय एवं गूगल इमेज पर वर्तमान में हुए निर्माण के दृष्टिगत, परियोजना व्यय राशि कम प्रतीत होती है।
- आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक तक कितने वर्ग मीटर का निर्माण किया गया है एवं निर्माण पर कुल व्यय बावत् शपथ पत्र पर विवरण प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सम्पूर्ण जानकारी आवेदक आगामी 10 दिवस के अंदर प्राधिकरण में एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि प्रकरण को निराकृत किया जा सकें।

11. **Case No. 9136/2022:** Prior Environment Clearance for Capacity Expansion of Existing Fertilizer and Agri Inputs Manufacturing Plant at A/413 Industrial area Nimrani Tehsil-Kasravad District- Khargone for Production Capacity (Total after Expansion) SSP – 600 TPD to 1200 TPD Existing GSSP Plant 1- 600 TPD New GSSP Plant 2- 600TPD, by M/s Coromandel International Ltd, Khasra No. 413A, Industrial Area, Nimrani, Dist. Khargone, MP- 451660. Email: nimranissp@coromandel.murugappa.com Mobile number : 8823084000- **Regarding EC amendment**

1. उक्त प्रकरण ग्राम निमरानी जिला खरगोन के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन का है।
2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति संशोधन जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। प्रकरण का कार्यवाही विवरण पेज नंबर 60 से 62 पर अंकित है।
3. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पूर्व जारी पर्यावरण स्वीकृति क्रमांक EC23B016MP154612 की शर्तो पर ही इस संशोधन को मान्य करते हुए संशोधित पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. कार्यवाही विवरण में त्रुटिवश खसरा न. 407/1, 406/2, 404/2, 406/1, 424/1, 412, 424, 425, 422, 413/2, 409/2, 410/2, 407/2, 409/3, 410/3, 431, 434, 435/1, 435/2, 427, 428, 186, 189, 185, 191 का उल्लेख हो गया है स्थापित यूनिट खसरा न. 413A पर स्थित है अतएव प्राधिकरण द्वारा उक्त संशोधन करने का निर्णय दिया।

5. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मौजूदा एवं प्रस्तावित उत्पादो निम्नलिखित तालिका के अनुसार अनुशंसित किया गया है।

Description as per approved EC	Capacity (MTPD) Total	Description as per proposal for Amendment in EC	Capacity (MTPD) Total
SSP Plant – 01 Single Super Phosphate Boronated Single Super Phosphate - 16% P2O5 (Powdered) Boronated Single Super Phosphate- 16% P2O5 (Granular) Zincated SSP-16% P2O5 (Powdered)	1200	SSP Plant – 01 (including MgSO4) Single Super Phosphate (SSP) Boronated Single Super Phosphate- 16% P2O5 (Powdered) Zincated Single Super Phosphate-16% P2O5 (Powdered) Magnesium Sulphate (MgSO4)	1200
GSSP Plant – 01 Granulated SSP fortified with Boron and Zinc	600	GSSP Plant – 01 & 02 Granulated SSP Granulated SSP fortified with Boron and /or Zinc Granulated SSP Fortified with Boron and /or Zinc along with Magnesium and/or Iron Granulated GSSP with Urea	1200
GSSP Plant – 02 Granulated SSP fortified with Boron and Zinc	600		

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में पूर्व मे SEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्र. EC23B016MP154612 दिनांक 20.03.2023) में अनुशंसित उत्पादों में उपरोक्त तालिका अनुसार उत्पादों को शामिल करते हुए शेष शर्तो एवं वैधता अवधि को यथावत रखते हुये पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन मान्य किया जाता हैं। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबधितों को सूचित किया जाये।

12. **Case No 9646/2023** General Manager, Environment, Western Coalfields Limited, Coal Estate Civil lines, Nagpur (Maharashtra)-440001, Prior Environment Clearance for Expansion of New Sethia OCP in an area of 144.453 ha. (Coal - 0.50 MTPA) (Khasra No. 306), Village-Sethia, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP)- EC Amendment.

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21.02.2017 एवं 30.11.2017 में संशोधन हेतु आनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म –4 EC Amendment में आवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है:–

*"………The committee further observed that other submissions made by the PP were found satisfactory and acceptable, thus committee after deliberation recommends the case for amendment in existing Environmental Clearance "**B. General Conditions (a) Mining** as following :*

S.N.	*Amendment Sought for incorporating EC condition*
i.	*An estimated total 10.09 Mm3 of OB from the adjacent Chhinda OCP Expn. mine will be accommodated into the western quarry void of Expn. New Sethia OCP upto the ground level reclaiming about 24 ha of void.*

The committee accepted PP's request for amendment in EC and recommended that other general /special EC conditions remain un-changed which has been accorded MoEF& CC, New Delhi vide letter no. J J-11015/452/2007-IA.II (M) dated 21/02/2017 & 30.11.2017 for a production capacity of 0.50 MTPA in the existing land area of 144.453 ha."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC द्वारा समिति द्वारा उपरोक्तनुसार अनुसंशित संशोधन तथा Corporate Environmental Reposiblity एवं Plantation से संबधित अतिरिक्त अधिरोपित शर्त को मान्य किया जाता हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शेष समान्य व विशिष्ट शर्ते वैधता अवधि सहित यथावत रहेगी। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को पालनार्थ एवं सर्व संबधितो को सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया जाये।

13. **Case No 9578/2023** General Manager, Environment, Western Coalfields Limited, Coal Estate Civil lines, Nagpur (Maharashtra)-440001, Prior Environment Clearance for **Chhinda OCP Expn.** in an area of 106.68 ha. Chhinda OCP Expn. (0.18 MTPA to 0.65 MTPA) [(Amendment in EC for accommodating OB into the adjacent Expn. of New Sethia OCP mine void)], at Village-Chhinda, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP).-EC Amendment.

राज्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15.01.2014 में संशोधन हेतु आनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म –4 EC Amendment में आवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 29.05.2023 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है:–

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

"……..it was observed by the committee that EC has been accorded MoEF& CC, New Delhi vide letter no.J-11015/119/2011-IA.II (M) dated 15.01.2014 for a production capacity of 0.65 MTPA in the existing land area of 106.68 ha, under the provisions of EIA, 2006. There is no change in the mining method (opencast), production capacity (0.65 MTPA) and total land area of 106.68 ha.

PP wants to an EC condition needs to be incorporated along with the existing EC conditions issued vide dated 15.01.2014 for Chhinda OCP Expn. in an area of 106.68 ha. Chhinda OCP Expn. (0.18 MTPA to 0.65 MTPA), for which an amendment is required in fulfillment of the general condition no (a) (i) of EC as quoted:

i. No change in mining technology and scope of working shall be made without prior approval of the Ministry of Environment and Forests.

S.No.	***Amendment Sought for incorporating EC condition***
i.	*it is mentioned here that in the existing EC of Chhinda OCP Expn. there is no mention of excavated OB to be dumped in outside the mine area into the adjacent mine void.*

PP Amendment sought for

EC condt. no.	***EC condition***	***Amendment Sought***
A. Specific condition no. xxxii	*An estimated total 78.38 Mm3 of OB will be generated during the entire life of the mine. Out of which 7.28 Mm3 of OB will be dumped in two external OB dumps in an earmarked area of 16.80 ha of land. 20.10 Mm3 of OB will be dumped in embankment covering an area of 15.00 ha. The maximum height of external OB dump for hard OB will not exceed 90 m and that for soft OB shall not exceed 60. The maximum slope of the dump shall not exceed 28 degrees. Monitoring and management of reclaimed dump sites shall continues till vegetation becomes self-sustaining and compliance status shall be submitted to MoEF and its Regional on yearly basis.*	*An estimated total 27.38 Mm^3 of OB (26.02 Mm3 in the balance life as on 01-04-2023) will be generated during the entire life of the mine. Out of which 10.09 Mm^3 will be dumped in the mine void of adjacent mine Expansion of Expn. of New Sethia OCP. 15.93 Mm3 of OB will be backfilled into the void of Chhinda OCP Expn. reclaiming 14 ha of excavated area. The height of internal dump will be 30 m above the ground. There will be 1 OB dump including embankment covering an area of 16.80 ha. The maximum height of the external OB dump will not exceed 90 m and slope shall not exceed 28 degrees. Monitoring and management of reclaimed dump sites shall continue till the vegetation becomes self-sustaining and compliance status shall be submitted to MoEF and its Regional Office on yearly basis.*

The committee accepted PP request for amendment in EC and recommended that Other general /special EC conditions remain un-changed which has been accorded MoEF& CC, New Delhi vide

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

letter no.J-11015/119/2011-IA.II (M) dated 15.01.2014 for a production capacity of 0.65 MTPA in the existing land area of 106.68 ha."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC द्वारा समिति द्वारा उपरोक्तनुसार अनुसंशित संशोधन तथा Corporate Environmental Reposiblity एवं Plantation से संबधित अतिरिक्त अधिरोपित शर्त को मान्य किया जाता हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शेष समान्य व विशिष्ट शर्ते वैधता अवधि सहित यथावत रहेगी। तदनुसार परियोजना प्रसतावक को पालनार्थ एवं सर्व संबधितो को सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया जाये।

14. **प्रकरण क्र. 9931/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया पिता किष्णपाल सिंह भदौरयिा निवासी ई–46, ए बलवंत नगर ठाटीपुर, जिला– ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 4950 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.640 हेक्टेयर, खसरा 1282 ग्राम – बिछोंदना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार नदी का प्रवाह खदान क्षेत्र में से होकर निकल रहा है नदी के अपस्ट्रीम में एक निर्माणाधीन रोड़ ब्रिज 385 मीटर की दूरी पर परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 01 किलोमीटर छोडने के पश्चात क्या खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध होगा ?

अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। SEAC द्वारा प्राथमिकता पर प्रकरण में अनुशंसा SEIAA को प्रेषित की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. **प्रकरण क्र. 9509/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इंटर प्राइजेस प्रो. श्री आनंद ताम्रकार निवासी मकान नं. बी/23 कस्तुरबा नगर गोविंदपुरा, तहसील हुजुर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हेक्टेयर मे सें SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 2.69 हे.) खसरा 613/1 ग्राम – परई –1, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 90,000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 5.0 हे मे से 2.69 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VII. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक धन राशि रू. 6.37 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधो का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधो का रोपण प्रथम वर्ष (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग की समिति को निर्धारित राशि रू. 3,00,000/– और 10 परसेंट रख रखाव के लिए रू. 30,000/– राशि प्रदान की जायेगी :–

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपसए गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1,000) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (1,000) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1000)	3000
2.	परई के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, ऑवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2700
3.	परिवहन मार्ग में (पौधों की न्यूनतम् ऊँचाई 1.5 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबी ऑवला, कुसुम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	240
	शासकीय माध्यमिक शाला परई में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक , नीम, सीताफल, गुलमोहर , कुसुम इत्यादि।	60
		कुल	6000

टीप – उपरोक्तानुसार पौधारोपण कार्य स्थानीय भूमि उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा एवं पक्तियों की संख्या में किया जा सकता है ।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत परई में समर्सिबल पंप तथा उसके पास में पक्का चबूतरा बनाकर एक 1,000 लीटर टंकी स्थपना हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के विकास मे तथा गांव के रोड निर्माण में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

X. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023** के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक **25.06.2023** तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित **SEIAA** एवं क्षेत्रीय कार्यालय **MoEF&CC** को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इंटर प्राइजेस प्रो. श्री आनंद ताम्रकार निवासी मकान नं. बी/23 कस्तुरबा नगर गोविंदपुरा, तहसील हुजुर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता **60,000** घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा **5.00** हेक्टेयर मे सें SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 2.69 हे.) खसरा **613/1** ग्राम – परई –1, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)। **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का आदेश क्र. 475 दिनांक** 17.02.2022 **के माध्यम** से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

16. प्रकरण क्र. **9716/2023** परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.)** द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता **2000** घनमीटर प्रतिवर्ष, **रकबा 14.0 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित** 3.08 हे., **खसरा 2/1, 2/2/1/क, 46, ग्राम लसनगॉव,** तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 4950 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 14.0 हे मे से 3.08 हे. क्षेत्र मे ही** उत्खनन कार्य किया जाये। **संबंधित** जिला खनिज **अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के अंदर** (In-stream) **उत्खनन कार्य नही किया जायेगा । संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VII. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निब्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	1200
		कुल	1200

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- **As per the Public hearing point –**
  - ➢ Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
  - ➢ Repairing of Village road and the drainage in village Lasangaon
  - ➢ We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Lasangaon

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका **अर्जुनराव,** निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 14.0 हेक्टेयर मे से **SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 3.08 हे., खसरा 2/1, 2/2/1/क, 46, ग्राम लसनगॉव, तहसील धरमपुरी,** जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का **पत्र क्र. 274 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

17. **प्रकरण क्र. 7096/2020 परियोजना प्रस्तावक नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लि. पता– प्लाट नं. 07 बिंदु सदन 401 साई चंद्रा रेसीडेन्सी, रंगारेड्डी, हैदराबाद (तेलांगना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,63,350 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 24.970 हेक्टेयर, मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 15.98 हे., खसरा 1, 1, 288, 266 ग्राम – बांसपुर, शिवसागर, गौनापुर, तहसील घोड़ाडोगरी / शाहपुर, जिला बैतुल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।** राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में **1,63,350** घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा **1,63,350** घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता **1,63,350** घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **1,63,350** घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता **1,63,350** घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 24.970 हे. मे से 15.98 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

Phase	**Location**	**Name of Tree**	**No. of Plants to be Planted**
Up to June 2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	7000
Up to June 2023	Evacuation route with all protection as Tree Gaurd.	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	**110**

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

Proposal	**Details**
Maintenance of village road	Maintenance of village road (0.75km@2.00laks per km
Plant distribution	7000 trees will be distributed to villagers/local administrative office/ NGOs
Erosion of river bank	One Layers of 1m width of sand bag with nagarmota ghas shall be developed at the bank of the river to prevent the erosion and 1500 no of kagang bans distribute to villagers of nearby river bank which is plant in 3row at river bank where is erosion observed

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

To provide drinking water facility	1 hand pump at village Shivsagar
Free health camp	One free health camp at village shivsagar

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06. 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित **SEIAA** एवं क्षेत्रीय कार्यालय **MoEF&CC** को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लि. पता– प्लाट नं. 07 बिंदु सदन 401 साई चंद्रा रेसीडेन्सी, रंगारेड्डी, हैदराबाद (तेलांगना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,63,350 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 24.970 हेक्टेयर, मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 15. 98 हे., खसरा 1, 1, 288, 266 ग्राम – बांसपुर, शिवसागर, गौनापुर, तहसील घोड़ाडोगरी / शाहपुर, जिला बैतुल (म.प्र.) । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल का पत्र क्र. 260 दिनांक 10.02. 2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

18. प्रकरण क्र. **9512/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमांशु मीणा, निवासी– 9 ए, पैरामाउंट विला, अंशल श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 45000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 4.20 हे., खसरा 2113 (नवीन खसरा1523) ग्राम अलीपुरा–2, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अखिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1,25000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 7.0 हे मे से 4.20 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक धन राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधो का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधो का रोपण प्रथम वर्ष (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग की समिति को निर्धारित राशि रू. 4,00,000/– और 10 परसेंट रख रखाव के लिए रू. 40,000/– राशि प्रदान की जायेगी :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (2,000) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (1,000) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1000)	4,000
2	ग्राम– हरपालपुर, नायगाव, भांडरा, धकारवारा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, ऑवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4180
3	परिवहन मार्ग में (पौधों की न्यूनतम् ऊँचाई 1.5 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबीए ऑवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	160
	शासकीय कन्या हाई स्कूल अलीपुरा	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक,नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	60
		कुल	8400

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम अलीपुरा की साफ–सफाई तथा दवा छिड़काव हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाये।
- ग्राम अलीपुरा में हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमांशु मीणा, निवासी– 9 ए, पैरामाउंट विला, अंशल श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 45000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 4.20 हे., खसरा 2113 (नवीन खसरा1523) ग्राम अलीपुरा–2, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का आदेश क्र.1858 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

19. **प्रकरण क्र. 9725/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – **खोदू भरू** (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.0 हेक्टेयर मे से SEAC **द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 4.39 हे.,** खसरा 38, 40, 41/1 ग्राम राजपुरा तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1500 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 11.0 हे मे से 4.39 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये।** संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा **इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के अंदर (In-stream) उत्खनन कार्य नही किया जायेगा। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VII. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निम्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं	1000

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	
		कुल	1000

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage in village Rajpura
- Installation of Tinshed at shamshan ghat Rajpura

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06. 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.0 हेक्टेयर मे से SEAC

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 4.39 हे., खसरा 38, 40, 41/1 ग्राम राजपुरा तहसील मनावर, **जिला धार** (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) **जिला धार का पत्र क्र. 280 दिनांक 07.02.2023 के** माध्यम **उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

20. **प्रकरण क्र. 9729/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.0 हेक्टेयर मे से SEAC **द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 5.88 हे.,** खसरा 1, 340 ग्राम नानोदा तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2000घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 8.0 हे मे से 5.88 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

V. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण / वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निब्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	1200
		कुल	1200

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage, in village Nanoda
- Instalation Tin shed at shamshan ghat in village Nanoda

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06. 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023** के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित **SEIAA** एवं क्षेत्रीय कार्यालय **MoEF&CC** को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.0 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 5.88 हे., खसरा 1, 340 ग्राम नानोदा तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 294 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

21. **प्रकरण क्र. 9726/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – **खोदू भरू** (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 07.0 हेक्टेयर मे से SEAC **द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 2.19 हे.,** खसरा 132/1 ग्राम मोरगड़ी, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2000 घनमीटर दर्शित है, अतः

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 07.0 हे मे से 2.19 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के अंदर (In-stream) उत्खनन कार्य नही किया जायेगा । संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VII. **परियोजना** प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आंवला, सीताफल, अमरूद, अचार, निम्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	1500

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	कुल	1500

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- **As per the Public Hearing pint :-**
  - Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
  - Repairing of Village road and the drainage in village Morgadi
  - We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Morgadi
  - Installation of Tin Shed at Shamshan Ghat

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06. 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023** के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

X. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06. 2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.00 हेक्टेयर मे से SEAC

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 2.19 हे., खसरा 132/1 ग्राम मोरगड़ी, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 284 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम **उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक** 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

22. **प्रकरण क्र. 9717/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.366 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 7.0 हे., खसरा 1, 236, 582, 592, 685 ग्राम काप्सी तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **स्टाप डैम से डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर तथा अप स्ट्रीम में 250 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 10.366 हे मे से 7.00 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VII. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निब्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां ।	1200
		कुल	1200

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage in village Kapsi
- We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Kapsi

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- Cleaning of Uri Bagni River, providing nets to villagers, and awareness programme towards the river cleanliness, near Kapsi Village .

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06. 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25. 06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.366 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 7.00 हे., खसरा 1, 236, 582, 592, 685 ग्राम काप्सी तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 270 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

23. प्रकरण क्र. 9736/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2300 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.506 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 2.59 हे., खसरा 1, 59, 60, 77 ग्राम इमलीपुरा. तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 2300 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 2300 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 2300 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2550 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2300 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा** 6.506 **हे मे से 2.59 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निब्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	1500
		कुल	1500

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- **As per Public Hearing Points :-** Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage in village Imlipura
- Provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Imlipura

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06. 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

IX. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25. 06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2300 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.506 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 2.59 हे., खसरा 1, 59, 60, 77 ग्राम इमलीपुरा. तहसील धरमपुरी, जिला धार(म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 272 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

24. **प्रकरण क्र. 9735/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर,मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 1.0 हे., खसरा 114/1 ग्राम भवगॉव, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 07.0 हे मे से 1.0 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के अंदर (In-stream) उत्खनन कार्य नही किया जायेगा । संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VII. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निब्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	1500
		कुल	1500

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- As per Public Hearing Points :-
- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage in Village Bhavgaon
- We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Bhavgaon
- Installation of Tin Shed at Shamshan Ghat in Village Bhavgaon

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023** के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023** के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक **25.06.2023** तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित **SEIAA** एवं क्षेत्रीय कार्यालय **MoEF&CC** को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता **2000** घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा **7.0** हेक्टेयर मे से **SEAC** द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 1.0 हे., खसरा 114/1 ग्राम भवगॉव, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. **250** दिनांक **07.02.2023** के माध्यम उक्त खदान को **30.06.2023** तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023** तक मान्य रहेगी।

25. प्रकरण क्र. 9734/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 850 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.00 हे. मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 6.00 हे., खसरा 284, 309, 322 ग्राम भवरियॉ, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 850 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 850 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 850 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 850 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 850 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 09.0 हे मे से 6.0 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के अंदर** (In-stream) **उत्खनन कार्य नही किया जायेगा । संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VII. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निब्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	800
		कुल	800

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage in Village Bhavariya

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06. 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

X. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 850 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.0 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 6.0 हे., खसरा 284, 309, 322 ग्राम भवरियॉ, तहसील कुक्षी, जिला धार (म. प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 282 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

26. **प्रकरण क्र. 9718/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.0 हेक्टेयर मे से SEAC **द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 4.5 हे.**, खसरा 83, 319 ग्राम बीरलई तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1200 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा** 8.0 **हे मे से 4.5 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निम्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	1500
		कुल	1500

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage in Village Birlai
- We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Birlai
- Cleaning of Uri Bagni Rived, providing nets to villagers, and awareness programme towards the river cleanliness near Birlai.

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06. 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.0 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 4.5 हे., खसरा 83, 319 ग्राम बीरलई तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 268 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम उक्त खदान को 30.06. 2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06. 2023 तक मान्य रहेगी।

27. **प्रकरण क्र. 9727/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.782 हेक्टेयर मे से SEAC **द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 3.54 हे.**, खसरा 251,351 ग्राम बांकी तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 1250 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 1250 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 1250 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1250 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1250 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा** 5.782 **हे मे से 3.54 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित** किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VI. **परि**योजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निब्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं	1000

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	
		कुल	1000

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage in Village Banki
- We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Banki

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06. 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

IX. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूंमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.782 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

हेतु अनुशंसित 3.54 हे., खसरा 251,351 ग्राम बांकी तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 790 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30. 06.2023 तक मान्य रहेगी।

28. **प्रकरण क्र. 9723/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरुमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – **खोदू भरू** (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3650 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 26.50 हेक्टेयर,मे से **SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 7.62 हे.,** खसरा 205/1, 21/2/1, 228/1/1, 229/1/1, 229/9/1/1, 229/9/4 , 36/1 ग्राम पीपल्दागढी, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म. प्र)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं **SEAC** की 648वी बैठक दिनांक **30.05.2023** की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 3650घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 3650 घनमीटर प्रतिवर्ष, **SEAC** से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 3650 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 3650 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 3650 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 26.50 हे मे से 7.62 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के अंदर (In-stream) उत्खनन कार्य नही किया जायेगा ।** संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VII. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निब्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	2200
		कुल	2200

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- As per the Public Hearing Point :-
- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage in village piplasadi
- We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Piplagadi

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023** के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक **25.06.2023** तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित **SEIAA** एवं क्षेत्रीय कार्यालय **MoEF&CC** को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. **40**, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता **3650** घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा **26.50** हेक्टेयर मे से **SEAC** द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 7.62 हे., खसरा 205/1, 21/2/1, 228/1/1, 229/1/1, 229/9/1/1, 229/9/4 , 36/1 ग्राम पीपल्दागढी, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 266 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम उक्त खदान को **30.06.2023** तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

29. प्रकरण क्र. 9728/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.0 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 2.50 हे., खसरा 118/1, 118/2 ग्राम शाहपुरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 9.0 हे मे से 2.50 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के अंदर** (In-stream) **उत्खनन कार्य नही किया जायेगा । संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VII. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निम्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	2000
		कुल	2000

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage
- We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Shahapur

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

X. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुररहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.0 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 2.50 हे., खसरा 118/1, 118/2 ग्राम शाहपुरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 288 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

30. **प्रकरण क्र. 9733/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – **खोदू** भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.0 हेक्टेयर,मे से SEAC द्वारा **खनन हेतु अनुशंसित 5.50 हे.,** खसरा 45/1/1क, 45/2/क, ग्राम नागझीरी, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 10.0 हे मे से 5.50 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित** किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के अंदर** (In-stream) **उत्खनन कार्य नही किया जायेगा । संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VII. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :– स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निब्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	3000
		कुल	3000

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- As per the Public Hearing Points:- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company
- Repairing of Village road and the drainage in village naagjhiri
- We will provide a Boring for drinking water at village naagjhiri

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – **खोदू भरू** (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.0 हेक्टेयर मे से **SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 5.50 हे.**, खसरा 45/1/1क, 45/2/क, ग्राम नागझीरी, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)। **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 292 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम** उक्त खदान को **30.06.2023** तक की **सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

31. **प्रकरण क्र. 9732/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – **खोदू भरू** (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर मे से **SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 4.50** हे. खसरा 181/2 ग्राम निमोला, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 07.0 हे मे से 4.50 हे क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के अंदर (In-stream) उत्खनन कार्य नही किया जायेगा । संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VII. **परियोजना** प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधो का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके के लिए फलदार पौधो का वितरण किया जावेगा एंव वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेगें।	आम, आवला, सीताफल, अमरूद, अचार,,निब्बू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	2000
		कुल	2000

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- As per the public hearing points :-
- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to local panchayat. The collection charges will be bared by our company.
- Repairing of Village road and the drainage in village Nimola
- We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Nimola

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स रामका माईनिंग प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री चिरूमामिला मलिका अर्जुनराव, निवासी हाउस नं. 40, रामहार नसरूल्लहागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान – खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 4.50 हे., खसरा 181/2 ग्राम निमोला, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 248 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

B. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा :–

32. प्रकरण क्र. 9790/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कामख्या मिनरल्स, श्री सतीश सिंह यादव, निवासी 25, ए, बापू नगर, सेंथी, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25,515 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2011, 2012, 2032, 2033 रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम घसौई, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वीं बैठक दिनांक 07.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में 07 पेड़ लगे है, जिसमें से 04 पेड़ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटे जायेंगे एवं उसके एवज् में 40 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। .....

अतः प्रकरण में **SEAC** द्वारा अनुशंसित 40 पौधों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की किये जाये एवं खनन क्षेत्र में स्थित कंटूर ट्रेंचेस के संरक्षण हेतु संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण के **उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनालाईन ADS दिनांक 07.04.2023 के माध्यम सें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जानकारी प्रस्तुत की गई है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 634वीं बैठक दिनांक 07.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **मंदसौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 07 वृक्षों में से काटे जाने वाले 04 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 40 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा :–

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	शीशम, नीम, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज बेल, कटहल, आम, अमरूद एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	900
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	200
3.	घसोई ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद	3700
4.	शासकीय विद्यालय घसोई, में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर इत्यादि।	50
		योग	4840

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

- ग्राम घसोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रं पर मेंडिकल ऑफिसर से परामर्श अनुसार चिकित्सीय सामग्री प्रदान की जायें

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कामख्या मिनरल्स, श्री सतीश सिंह यादव, निवासी 25, ए, बापू नगर, सेंथी, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25,515 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2011, 2012, 2032, 2033 रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम घसौई, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश क्र. 11443-44 दिनांक 25.08.2022 अनुसार 30 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.08.2052 तक वैध मान्य रहेगी।

33. प्रकरण कमांक 9240/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री के. प्रभाकर राव, निवासी–बच्छरवारा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 58607 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10, 127, 128, 129, रकबा 5.50 हेक्टेयर, ग्राम जामुनिया, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 640वी बैठक दिनांक 26.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार ***"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 34 पेड लगे है जिसमें से 04 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज में 40 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

प्राधिकरण के **उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनालाईन ADS दिनांक 30.05.2023 के माध्यम सें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जानकारी प्रस्तुत की गई है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 640वी बैठक दिनांक 26.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 03.03.20217 में की अनुशंसा अनुसार सभी शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं वन क्षेत्र की ओर चेनलिंग फेसिंग/वॉल बनाई जाये।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 34 वृक्षों में से काटे जाने वाले 04 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 40 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा :–

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन (निजी भूमि खसरा नंबर 127, 128,129)	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा, सागोन और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1000
	(शासकीय भूमि खसरा नंबर 10)	सिस्सू, पीपल, कस्टार, खमेर, चिरौल बबूल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	260
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, बरगद, चिरौल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।	460
3	50 मीटर तक वन सीमा से बफर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	2000
4	जमुनिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर , मोलश्री इत्यादि।	20
5	गाँव जमुनिया, मलहान, आमगांव बड़ागांव गांव के ग्रामवासीयों में	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मुनगा इत्यादि।	3,370

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	वितरण हेतु		
6	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है ।	
		योग	7110

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- गाँव जमुनिया के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 01 सोलर लाइट की व्यवस्था की जाये।
- गाँव जमुनिया के ग्रामवासियों के लिए साल में दो बार रक्तचाप, मधुमेह और मौखिक स्वच्छता की जाँच के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगवाया जाये।
- गाँव जमुनिया में एक हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना की जाये।
- ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव जमुनिया में विकास कार्य हेतु सहायता प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री के. प्रभाकर राव, निवासी—बच्छरवारा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 58607 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10, 127, 128, 129, रकबा 5.50 हेक्टेयर, ग्राम जामुनिया, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला कटनी का पूरक अनुबंध निष्पादन दिनांक 28.12.2017 अनुसार 20.07.1994 से 19.07.2034 तक लीज़ स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

C. जिला खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली का पत्र क 1881 दिनांक 29.05.2023 एवं पत्र क्र. 1880 दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से SEIAA द्वारा जिला सिंगरौली, तहसील चितरंगी के 06 प्रकरणों में बी–2 श्रेणी के अंतर्गत जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति को कलस्टर की बी–1 श्रेणी पाये जाने के कारण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	प्रकरण का विवरण	प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति
1.	प्रकरण क्र. 6238/2019 – परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव सिंह बघेल आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह बघेल नि. 164 नवजीवन बिहार, पोस्ट. विंध्यनगर जिला सिंगरौली (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20,198 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.42 हेक्टेयर, खसरा 225/1/1, 225/2/4, 225/1/5 ग्राम पीपरवन, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)	प्रकरण में SEAC की 373 वी बैठक दिनांक 20.05.2019 में की गई अनुशंसा अनुसार प्राधिकरण द्वारा 555वी बैठक दिनांक 12.06.2019 मे पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा **पत्र क. 1387 दिनांक 29.06.2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृत जारी की गई ।**
2.	प्रकरण क्र. 6314/2019 – परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव सिंह बघेल आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह बघेल नि. 164 नवजीवन बिहार, पोस्ट. विंध्यनगर जिला सिंगरौली (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 27,138 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.90 हेक्टेयर, खसरा 225/1/2, 225/1/3, ग्राम पीपरवन, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र)।	प्रकरण में SEAC की 378 वी बैठक दिनांक 03.07.2019 में की गई अनुशंसा अनुसार प्राधिकरण की 563वी बैठक दिनांक 14.08.2019 मे पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा **पत्र क. 2292 दिनांक 23.09.2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृत जारी की गई ।**
3.	प्रकरण क्र. 7265/2020 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बालाजी स्टोन वर्कस, पार्ट. श्री राजेश कुमार अग्रवाल नि. गनियारी रोड बैढन, पोस्ट बैढन, जिला सिंगरौली (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 45,132 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.71 हेक्टेयर, खसरा 203/1 ग्राम पीपरवन, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)।	प्रकरण में SEAC की 443 वी बैठक दिनांक 02.07.2020 में की गई अनुशंसा अनुसार प्राधिकरण की 626वी बैठक दिनांक 17.07.2020 मे पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा **पत्र क. 1457 दिनांक 05.08.2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृत जारी की गई ।**
4.	प्रकरण क्र. 6405/2019 – परियोजना प्रस्तावक श्री कालिंदी सिंह पत्नि श्री अनुपम सिंह नि. रेल्वे स्टेशन रोड बिली जिला सोनभद्र (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25,080 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.	प्रकरण में SEAC की 452 वी बैठक दिनांक 27.08.2020 में की गई अनुशंसा अनुसार प्राधिकरण की 636वी बैठक दिनांक 14.09.2020 मे पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

	00 हेक्टेयर, खसरा 233 पार्ट. ग्राम पीपरवन, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)।	द्वारा **पत्र क. 3638 दिनांक 14.10.2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृत जारी की गई ।**
5.	प्रकरण क्र. 6117/2019 – परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र सिंह आत्मज सत्यप्रसाद सिंह नि. ग्राम– नौगई तह. चितरंगी जिला सिंगरौली (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,30,,370 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.75 हेक्टेयर, खसरा 269 ग्राम मौहरीया, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)	प्रकरण में SEAC की 368 वी बैठक दिनांक 02.05.2019 में की गई अनुशंसा अनुसार प्राधिकरण की 548वी बैठक दिनांक 22.05. 2019 मे पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा **पत्र क. 1085 दिनांक 10.06.2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृत जारी की गई ।**
6.	प्रकरण क्र. 6051/2019 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमति आरती सिंह पिता श्री दुर्गाप्रसाद सिंह नि. ग्राम– नौगई –1 तह. चितरंगी जिला सिंगरौली (म. प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32,,222 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा 18–19/1 ग्राम मौहरीया, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)।	प्रकरण में SEAC की 358 वी बैठक दिनांक 09.04.2019 में की गई अनुशंसा अनुसार प्राधिकरण की 545वी बैठक दिनांक 03.05. 2019 मे पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा **पत्र क. 775 दिनांक 22.05.2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृत जारी की गई ।**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवतर्न मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना दिनांक 14. 09.2006 एवं समय–समय पर जारी कार्यालयीन ज्ञापन/ दिशा निर्देश अनुसार खनन के प्रकरणों को 02 श्रेणीयों में बी–1 एवं बी–2 में निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की खदान अथवा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों को मिलाकर कुल क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रकरणों को बी–1 श्रेणी में एवं 05 हेक्टेयर से कम 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों को मिलाकर कुल क्षेत्र 5 हेक्टेयर से कम होने पर प्रकरणों को बी–2 श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाता है।

पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में आने वाली अन्य खदानों की अभिप्रमाणित जानकारी प्रदाय किये जाने हेतु म.प्र. लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.11.2017 के बिन्दु क्रं. 44.3 अनुसार तहसील/अनुविभागीय अधिकारी को अधिकृत किया गया है तथा प्राधिकरण द्वारा जिला खनिज अधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में आने वाली अन्य खदानों अभिप्रमाणित जानकारी को मान्य किये जाने हेतु कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 20.06.2019 जारी किया गया एवं परियोजना प्रस्तावकों के सुलभ संदर्भ हेतु MP-SEIAA की बेवसाईट पर भी उपलब्ध है। इस ज्ञापन में स्पष्ट यह निर्देश है कि पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज संबंधित अधिकारियों से अभिप्रमाणित पत्रों के आधार पर संलग्न किये जाये यदि किसी भी प्रकार के असत्य एवं भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित परियोजना प्रस्तावक की है। इस हेतु सभी समस्त परियोजना प्रस्तावकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में एवं आवेदन के साथ नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रतिबद्धता की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की अभिप्रमाणित जानकारी तहसीलदार द्वारा प्रकरणवार कार्यालयीन पत्रो के माध्यम से

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रदान की गई, जिसमें कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित है के आधार पर SEAC एवं SEIAA द्वारा उक्त प्रकरणों में बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा विस्तृत चर्चा एवं **विचार** विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में दर्शित **प्रकरण** क्र. **1** से **6** तक के **समस्त परियोजना प्रस्तावक प्रकरण** से संबंधित समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति सहित **विशेष** रूप से **लीज** की **सैद्धान्तिक सहमति पत्र** एवं लीज स्वीकृति आदेश तथा तहसीलदार द्वारा संबंधित प्रकरण में **प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी हेतु जारी किये** गये **पत्र** के साथ प्राधिकरण के समक्ष **15 दिवस** में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा उपस्थित नहीं होने की **स्थिति** में एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी। **जिला खनिज अधिकारी, सिंगरौली** को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त **प्रकरणों के** संबंध में समस्त दस्तावेजों की **मूल** प्रति के साथ **प्राधिकरण के समक्ष 15 दिवस** की **अवधि** में **अपना** पक्ष प्रस्तुत करें।

D. नीतिगत निर्णय

प्रकरण कमाक 9706/2023 **में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वीं बैठक दिनांक** 29.05.2023 **में निम्नानुसार अनुशंसा की गई–**

"............समिति ने यह भी पाया कि इस प्रकरण में जो एन.आे.सी सरपंच द्वारा दी गई है उसमें ग्राम सभा की बैठक का कोई उल्लेख नही किया गया है तथा स्वतः ही जारी की गई है अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया इस पर संज्ञान ले तथा यदि उचित समझे तो यह निर्देश प्रसारित करे कि सरपंच के अनापत्ती प्रमाण पत्र में ग्राम सभा की बैठक/ठहराव प्रस्ताव का उल्लेख हो तथा उसके कार्यवाही विवरण को संलग्न भी किया जाये ।

प्रकरण कमाक 9509/2022 में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वीं बैठक दिनांक 30.05.2023 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई–

'............प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि ग्राम सभा की अनुमति अपलोड नहीं है, इस संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी ने पत्र कमांक 1011 दिनांक 12/5/23 के माध्यम से सूचित किया कि उनके द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को खदान की अनुमति देने के संबंध में पत्र लिखा गया था जो आज दिनांक तक प्रस्तुत नही किया गया है

SEAC की उपरोक्त **प्रकरणवार अनुशंसा** को मान्य करते हुए **राज्य स्तरीय** पर्यावरण समाघात **निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)** द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत **यह निर्णय** लिया गया कि **पर्यावरणीय स्वीकृति** हेतु **परिवेश** पोर्टल पर प्राप्त समस्त आनॅलाईन आवेदनों में ग्राम **पंचायत/ग्रामसभा** की अनापत्ति के साथ बैठक/ठहराव प्रस्ताव **भी अनिवार्यतः** अपलोड किया जाये। उक्त निर्णय के परिपालन **में** ग्राम पंचायत **की** अनापत्ति के साथ ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव **परियोजना प्रस्तावक को** उपलब्ध करवाये जाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर को दिशा निर्देश प्रसारित करने हेतु संचालनालय, भौमिकी **तथा खनिकर्म**, भोपाल को **पत्र प्रेषित किया** जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**

2. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट-2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष